फा. सं. ऐरा/20010/ईओआई-01/2025-26/23565

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

तृतीय तल,
उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003.

दिनांक : 18 नवम्बर, 2025

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 11/2025-26</u>

विषय : हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में प्रमुख हवाईअड्डों की वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में और कार्यनीतिक एवं आर्थिक अध्ययनों में ऐरा की सहायता करने के लिए परामर्श एजेंसियों का पैनल तैयार करने के संबंध में।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में प्रमुख हवाईअड्डों की वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में तथा कार्यनीतिक एवं आर्थिक अध्ययनों में ऐरा की सहायता करने के लिए परामर्श एजेंसियों का पैनल बनाने के लिए दिनांक 30.09.2025 को ईओआई संख्या 01/2025-26 जारी की।

2. प्रतिभागी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत ईओआई दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर, ऐरा ने निम्नलिखित बाईस (22) परामर्श एजेंसियों का पैनल तैयार किया है:-

क्र. सं.	**परामर्श एजेंसी**	**पैनल श्रेणी**
(i)	मैसर्स डिलॉयट टच तोमात्सु इंडिया एलएलपी	'ए'
(ii)	मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी	'ए'
(iii)	मैसर्स केपीएमजी इंडिया सर्विसेज एलएलपी	'ए'
(iv)	मैसर्स प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड	'ए'
(v)	मैसर्स एसबीआई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड	'ए'
(vi)	मैसर्स स्टीर डेविस ग्लीव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	'ए'
(vii)	मैसर्स पीकेएफ श्रीधर एंड संतनाम एलएलपी	'ए'
(viii)	मैसर्स क्रिसिल लिमिटेड	'ए'
(ix)	मैसर्स आर. सुब्रह्मामणियन एंड कंपनी एलपीपी	'ए'
(x)	मैसर्स अमित राय एंड कंपनी	'ए'
(xi)	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	'ए'
(xii)	मैसर्स राइट्स लिमिटेड	'ए'
(xiii)	मैसर्स मेकॉन लिमिटेड	'ए'
(xiv)	मैसर्स आईसीएफ कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	'ए'
(xv)	मैसर्स ग्रांट थोर्टोन भारत एलएलपी	'ए'
(xvi)	मैसर्स मरसेडॉस एनर्जी मार्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	'बी'
(xvii)	मैसर्स एबीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइज़री प्राइवेट लिमिटेड	'बी'

(xviii)	मैसर्स एडरोएट् एंड कंपनी	'बी'
(xix)	मैसर्स ब्रह्मया एंड कंपनी	'बी'
(xx)	मैसर्स एफ ए फिन-एडवाइज़र्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	'बी'
(xxi)	मैसर्स फिशनर कंसल्टिंग इंजीनियर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	'बी'
(xxii)	मैसर्स श्रीधर एंड एसोसिएट्स	'बी'

3.1 पैनल में शामिल करने की श्रेणियाँ:

(i) श्रेणी ए: प्रतिवर्ष 6 एमपीपीए और उससे अधिक यात्री के आवागमन (थ्रूपुट) वाले प्रमुख हवाईअड्डों से संबंधित वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने में ऐरा की मदद करना।

(ii) श्रेणी बी: प्रतिवर्ष 6 एमपीपीए से कम यात्री के आवागमन (थ्रूपुट) वाले प्रमुख हवाईअड्डों से संबंधित वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने में ऐरा की मदद करना।

3.2 श्रेणी 'ए' में शामिल परामर्श एजेंसियां श्रेणी 'बी' से संबंधित सुपुर्द कार्यों में हिस्सा लेने के लिए पात्र होगी। परंतु, श्रेणी 'बी' में शामिल परामर्श एजेंसियां श्रेणी 'ए' से संबंधित सुपुर्द कार्यों में हिस्सा लेने के लिए पात्र नहीं होंगी।

3.3 कार्यनीतिक और आर्थिक अध्ययन करने के लिए, ऐरा को सभी पैनल वाली परामर्श एजेंसियों में से श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' या 'दोनों श्रेणी' से तकनीकी आर्थिक व्यावसायिक बोलियां मंगाने का अधिकार है और खुली निविदाएं मंगाने का भी अधिकार है।

4. पैनल की वैधता : यह पैनल इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा। पैनल की वैधता ऐरा की संतुष्टि के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। परंतु, पैनल की वैधता के दौरान ऐरा को पैनल को अद्यतन/समीक्षा/रद्द करने का पूरा अधिकार है। इस अवधि में ऐरा यदि यह निर्णय लेता है कि परामर्श एजेंसी ने व्यावसायिक तरीके से अपेक्षित सेवा देने में पर्याप्त दक्षता नहीं दिखाई है या संविदा मिलने के बाद सेवा की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई जाती है तो ऐरा परामर्श एजेंसी (एजेंसियों) को अपनी पैनल सूची से हटा भी सकता है।

5. पैनल में शामिल होने की शर्तें:

(i) ऐरा के पैनल में सम्मिलित किए जाने से इस बात की गारंटी नहीं है कि पैनल में शामिल की गई एजेंसियों को ऐसे पैनल के परिणामस्वरूप कोई कार्य/नियत कार्य दिया जाएगा।

(ii) परामर्श एजेंसी का पैनल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और इस पैनल से एजेंसी को कोई विधिक या संविदात्मक अधिकार नहीं मिलता है।

(iii) ऐरा बाद में टैरिफ निर्धारित करने का कार्य देने और/या अध्ययन करने के लिए आरएफपी मंगा सकता है। ऐरा अनुबंध देने के लिए सीबीएस, क्यूसीबीएस या किसी अन्य मूल्यांकन मॉडल पर, जो उचित समझा जाए, आरएफपी मंगा सकता है या नामांकन के आधार पर किसी भी पैनल वाली एजेंसी को कोई परियोजना या अध्ययन का नियत कार्य सौंप सकता है।

(iv) ऐरा यदि चाहे तो किसी भी नियत कार्य के लिए खुली निविदा सहित किसी भी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श एजेंसियां चुनने के लिए स्वतंत्र है और पैनल में शामिल परामर्श एजेंसियों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही वे उसी तरह के कार्यों के लिए उस श्रेणी (अर्थात, श्रेणी ए, बी) के लिए बनाए गए पैनल में शामिल हों।

(v) ऐरा को मूल्यांकन संबंधी मानदंड को आवश्यक होने पर बदलने और अपना स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार है। ऐरा को आरएफपी में काम के दायरे, योग्यता मानदंड और अन्य शर्तों एवं निबंधनों को और विस्तार से बताने का भी अधिकार है। संबंधित आरएफपी में योग्यता संबंधी मानदंड से विचार किए जाने की गुंजाइश और सीमित हो सकती है। पैनल में शामिल एजेंसियों का इस बारे में कोई दावा नहीं होगा।

(vi) यह पैनल दिनांक 17.10.2025 के शुद्धि पत्र के साथ पठित दिनांक 30.09.2025 की ईओआई संख्या 01/2025-26 के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा।

6. ऐरा की दिनांक 01.06.2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2020-21 (दिनांक 29.06.2020 और 03.01.2024 के बाद के संशोधनों के साथ पठित) के माध्यम से जारी परामर्श एजेंसियों का पूर्व का पैनल, जो 30.11.2025 तक वैध था, तत्काल प्रभाव से समाप्त/रद्द किया जाता है।

भवदीय,

(इन्द्रपाल सिंह)
अवर सचिव (नीति एवं सांख्यिकी